



# यूको बैंक

# ई निलामी बिक्री नोटिस (सरफेसि एक्ट 2002)

जोनल कार्यालय: एन.सी.आर. प्लाजा, द्वितीय तल, न्यु कैंट रोड, देहरादून - 248001 फोन: 0135-2742812

वित्तीय आरिक्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसि एक्ट) के अन्तर्गत बैंक को प्रभारित अचल सम्पत्तियों की ई निलामी बिक्री।  
जबकि यूको बैंक जोनल कार्यालय: एन.सी.आर. प्लाजा, देहरादून के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा SARFAESI अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किया गया तथा उसके बाद निम्नांकित प्रभारित/बन्धक सम्पत्ति को उक्त अधिनियम के तहत सम्पत्ति कब्जे में लिया गया है और यहां नीचे दर्शायी गयी सम्पत्ति की बिक्री हेतु 'जहां है जैसी है' आधार पर उक्त अधिनियम की धारा 13(4) में प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए ई-निलामी के माध्यम से बिक्री करने का निर्णय लिया गया है

ऋणदार/जमानतदारों का नाम	सम्पत्ति का विवरण	डिमांड नोटिस के अनुसार बकाया राशि	आरक्षित मूल्य/अरनेस्ट मनी डिपोजिट	ई निविदा का दिनांक एवं समय
श्री रमन कुंद्रा पुत्र स्व0 श्री नरेंद्र कुंद्रा निवासी मकान न0 908, सर्वप्रिय विहार कालोनी, कनखल, परगना ज्वालापुर, तहसील एवं जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड हरिद्वार, उंचाराखण्ड 249408 एवं श्रीमती आरती कुंद्रा पत्नी श्री रमन कुंद्रा निवासी मकान न0 908, सर्वप्रिय विहार कालोनी, कनखल, परगना ज्वालापुर, तहसील एवं जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड 249408	समस्त सम्पत्ति खसरा न0 226 का भाग प्रथम तल पर फ्लैट बिना छत के अधिकार के दो कमरे, रसोई, टॉयलेट/बाथरूम बालकनी के साथ। जिसकी माप 500 वर्ग फीट (46.47 वर्ग मी0) है जो कि हजारी बाग, सतीकुंड कनखल, ग्राम जगजीतपुर मुस्तकम (नगर निगम कि सीमा के अंदर) परगना ज्वालापुर, तहसील एवं जिला हरिद्वार स्थित है। श्री रमन कुंद्रा पुत्र स्व0 श्री नरेंद्र कुंद्रा निवासी मकान न0 908, सर्वप्रिय विहार कालोनी, कनखल, परगना ज्वालापुर, तहसील एवं जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड के नाम है जो सब रजिस्ट्रार हरिद्वार के यहा रजिस्टर है बुक न0 1, वोल्युम 3108, पेज न0 311 से 336 सीरियल न0 5750 दिनांक 21.07.2014 निम्नांकित से अवरुध व घिरा हुआ है। पूर्व - सम्पत्ति श्री त्रिपाठी, सीमा में माप 40 फीट, पश्चिम - पूर्व - सामान्य रास्ता एवं सीढ़ीया, सीमा में माप 40 फीट, उत्तर- बालकनी सीमा में माप 12 फीट 6 इंच, दक्षिण - सम्पत्ति अन्य (विकेटा) सीमा में माप 12 फीट 6 इंच	रु 0 1331442/- (रु0 तेरह लाख इक्कतिस हजार चार सौ बयालिस केवल) 31.05.2017 तक (31.05.2017 तक ब्याज के साथ)	रु 0 1360000/- (रु0 तेरह लाख साठ हजार केवल)  रु 0 1360000/- (रु0 एक लाख छतिस हजार केवल)	27.12.2017  दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक

**ऑनलाइन निविदा/निलामी की नियम एवं शर्तें:**

- निलामी वेबसाइट <https://ucobank.auctiontiger.net> के द्वारा ऑनलाइन निलामी/बिडिंग के माध्यम से दिनांक 27/12/2017 को दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे (आई एस टी के अनुसार) तक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ होगी। 2. इच्छुक बिडर की वेब ई मेल आइडी होनी आवश्यक है। 3. इच्छुक बिडर को सलाह दी जाती है कि अपनी बिड जमा करने एवं ई निलामी में भाग लेने से पहले, विस्तृत नियम एवं शर्तों की जानकारी वेबसाइट <https://ucobank.auctiontiger.net> से प्राप्त करें। 4. इच्छुक बिडर को ई निलामी की ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए मै0 ई प्रोक्युरमेंट टेकनोलॉजि लि0 (आवरान टाइगर) अहमदाबाद में मिस मर्सी सागर, श्री रंजिन एवं श्री विशाल से इन न0 एवं मेल आइ डी पर सम्पर्क करें। लैंड लाइन न0 : 079.41072410/41072411, मोबाइल न0 09978591888, ईमेल आइडी: support@auctiontiger.net एवं kushal@auctiontiger.net। 5. बिड केवल निष्पत्ति प्रारूप में उचित जानकारी के साथ ऑनलाइन जमा होगी। 6. ऑनलाइन बिड जमा करने की अंतिम तिथि 26/12/2017 है। 7. एनैस्ट मनी डिपोजिट (ईएमडी) आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से यूको बैंक गोविन्द पुरी, हरिद्वार, आईएफएस UCEBA0002070 अकाउंट का नाम एनईएफटी/आरटीजीएस अकाउंट, अकाउंट न0 207000210000595 में जमा होगी। 8. सम्पत्ति का निरीक्षण ई निलामी बिक्री के पांच दिन पहले से सुबह 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक शाखा अधिकारी से पहले समय लेकर का सकता है। 9. बोली फार्म की एक प्रति ऑनलाइन संलग्नक के साथ (जिसमें यूटीआर न0 का उल्लेख हो) प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक जोनल कार्यालय, एनसीआर प्लाजा, देहरादून. 248001 के पास जमा करानी है या इनकी सॉफ्ट कॉपी मेल आइडी [govind@ucobank.co.in](mailto:govind@ucobank.co.in) पर मेल करनी है। 10. बिड मूल्य जो जमा करना है वह आरक्षित मूल्य के बराबर या उस से ज्यादा होना चाहिये एवं बिडर्स बोली वृद्धि मूल्य रु0 100000/- के गुणांक में बढ़ायेंगे। 11. सफल बिडर्स को बिड मूल्य का 25% (जमा की गयी एनैस्ट मनी को मिला कर) ई निलामी बिक्री समाप्त होने के पश्चात उसी दिन तत्काल नियम न0 7 में दिये गये माध्यम से जमा कराना होगा। सफल बोलीकर्ता को अधोहस्ताक्षरी द्वारा खरीद की स्वीकृति/पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर खरीद मूल्य का शेष 75% का भुगतान करना होगा। 12. यदि सफल बोलीकर्ता उपर दिये गये नोटिस के अनुसार खरीद मूल्य जमा करने में विफल होता है तो बोलीकर्ता द्वारा जमा राशी जब्त हो जायेगी। 13. असफल बोलीकर्ता की एनैस्ट मनी डिपोजिट (ईएमडी) ई निलामी बिक्री समाप्त होने के पश्चात लौटा दी जायेगी। 14. बिक्री बैंक की पुष्टि के अधीन है। यदि ऋणी/जमातदार बकाया राशी निलामी से पुर्व जमा करा देते है तो बिक्री निरस्त हो जायेगी। 15. ई-निलामी जहां है जैसा है तथा जहां है जो भी है के आधार पर आयोजित की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी तथा सूचना के अनुसार किसी सम्पत्ति का कोई ऋण भार नहीं है। यद्यपि इच्छुक बिडरों को अपनी बिड प्रस्तुति से पहले सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले ऋण भार, नीलाम की जाने वाली सम्पत्ति/यों के टाईटिल तथा दावे/ अधिका/बकाया के सम्बंध में अपनी स्वेच्छा जांच करवानी चाहिये। सम्पत्ति बैंक के समस्त वर्तमान तथा भविष्य के जाने-अजाने ऋण भार सहित बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/सिखड़ो क्रैडिटर तीसरी पार्टी के दावे/अधिका/बकायों के लिये किसी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। 16. अधोहस्ताक्षरी को पूर्ण अधिकार एवं विवेक है कि वह बिना किसी पूर्व सूचना के बिड को स्वीकार/अस्वीकार कर सकता है बिक्री को स्थगित/टाल/रद्द कर सकता है एवं नियम शर्तों बदल सकता है। 17. क्रैता को स्टाम्प ड्युटी शुल्क, बिक्री प्रमाण पत्र पंजीकरण शुल्क एवं सम्पत्ति से सम्बन्धित वर्तमान एवं भविष्य के सभी सरकारी कर एवं दर वहन करना होगा। बिक्री प्रमाणपत्र केवल सफल बोलीकर्ता को प्राप्त जारी होगा। 18. बिक्री सरफेसी अधिनियम/नियम 2002 में उल्लिखित शर्तों एवं उपर अंकित शर्तों के अधिन है। 19. अधिक जानकारी के लिए प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक जोनल कार्यालय, एनसीआर प्लाजा, देहरादून मो0 9634764806, फोन न0 0135-6510212 पर सम्पर्क कर सकते है। 20. नोटिस विषेश रूप से ऋणी, जमातदार एवं सामान्य रूप से जनता के लिए भी है।